न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी : गरिमा लाटा, आर.ए.एस.

विविध प्रार्थना पत्र सं0 – 28/2019

1. कमू देवी पत्नी जगदीश प्रसाद
2. अर्जुन पुत्र केशरदेव
3. केशरदेव पुत्र जमनाराम
4. कौशल्या पुत्री केशरदेव
5. गुलझारी पुत्र केशरदेव
6. गोरू पुत्र रूघनाथ
7. नागर पुत्र केशरदेव
8. नानू पुत्र रूघनाथ
9. पेमाराम पुत्र ईश्वरराम
10. फूलचन्द पुत्र केशरदेव
11. बुद्धराम पुत्र केशरदेव
12. बिहारी पुत्र केशरदेव
13. मुकेश पुत्र केशरदेव
14. मन्जू पुत्री केशरदेव
15. मन्जू पत्नी बिहारीलाल
16. मुन्नी पुत्री केशदेव
17. मनोहर पुत्र केशरदेव
18. श्योजी पुत्र रूघनाथ
19. सुनिता पुत्री केशरदेव
20. सुल्तान पुत्र केशरदेव

समस्त जाति कुम्हार (कुमावत) ग्राम टोडी माधोपुरा तहसील व जिला सीकर

प्रार्थीगण

ब ना म

1. जगदीश प्रसाद पुत्र श्योनाथ
2. तेजाराम पुत्र नाथू
3. बजरंगलाल पुत्र नाथू
4. बिहारीलाल पुत्र श्योनाथ
5. भंवरलाल पुत्र नाथू
6. मोहनी पत्नी श्योनाथ
7. सुशीला पुत्री श्योनाथ

समस्त जाति जोगी निवासीगण श्यामपुरा पूर्वी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

8. ग्राम पंचायत पलासरा जरिये सचिव, ग्राम पंचायत पलासरा तहसील व जिला सीकर
9. तहसीलदार सीकर

–– अप्रार्थीगण

आवेदन अं.धारा 110.,111,128 भू राजस्व अधि. 1956

उपस्थितः–

1. श्री रामेश्वरलाल बिजारनिया अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री सोहनलाल अधिवक्ता अप्रार्थी सं.1, 2,3,5

–: आदेश:–

दिनांकः 4.3.2020

अंकित किये है कि प्रार्थीगण के हक अधिकार व खातेदारी भूमि खसरा नं. 368 रकबा 1.40 है. एवं खसरा नं. 369 रकबा 1.11 है. किता 2 रकबा 2.51 है. वाके माधोपुरा तहसील सीकर मे अवस्थित है। वर्णित भूमियों के दक्षिणी तरफ के पड़ोसी अप्रार्थी सं.1 ता 8 विवाद करते है । वर्णित भूमियों का दिनांक 12.5.19 को सीमाज्ञान करवाया गया, जिसके अनुसार कुछ भूमि मिली हुई है एक खातेदार प्रभाती पत्नी नाथू का स्वर्गवास हो चुका है। वर्णित भूमियां खसरा नं. 368,369 वाके माधोपुरा के सीमा चिन्ह स्पष्ट करते हुए पत्थरगढी किया जाना प्रार्थनीय हैं।अप्रार्थी सं. 1 ता 7 ने प्रार्थीगण की भूमि के सीमाचिन्ह नष्ट कर दिये जिसका उन्हे अधिकार नही है। आवेदन प्रस्तुत कर कृषि भूमि खसरा नं. 368 रकबा 1.40 है. व खसरा नं. 369 रकबा 1.11 है. किता 2 रकबा 2.51 है. वाके माधोपुरा के दक्षिण सीमा के सीमाचिन्ह कायम कर सीमाज्ञान दिनांक 12.5.2019 के अनुसार पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश करने का अनुरोध किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 2,3 व 5 की ओर से जवाब पेश कर अंकित किया कि उत्तरदातागण को तथाकथित सीमाज्ञान 12.5.19 के बारे मे कोई जानकारी नही है यदि प्रार्थीगण द्वारा कर्मचारियों से मिलकर एकतरफा कार्यवाही करवाई है तो वह गलत है । पडोसी खातेदार को सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना सीमाज्ञान कार्यवाही नहीं की जा सकती। खसरा नं. 368 व 369 के दक्षिण सीमा के सीमा चिन्ह काफी वर्षों से मौजूद है सींव नींव कायम है। विशेष कथनों मे अंकित किया कि प्रार्थीगण के अनुसार दक्षिण पूर्वी दिशा मे उत्तरदाता के खेत खसरा नं. 399,400 में भूमि दबी हुई है बिना बेदखली का दावा करे सीमाज्ञान व पत्थरगढी की आड मे अनुतोष पाने की कुचेष्टा की जा रही है। जवाब पेश कर आवेदन मय खर्चा खारिज करने का अनुरोध किया।

उक्त प्रार्थना पत्र के विचारण के दौरान अप्रार्थी जगदीश प्रसाद वगैरा की एक ओर से एक आवेदन बाबत आपत्ति रिपोर्ट सीमाज्ञान दिनांक 12.5.19 का पेश कर अंकित किया कि सीमाज्ञान दिनांक 12.5.19 एकतरफा है उत्तरदाता को सुनवाई का अवसर नही दिया गया, न ही सीमाज्ञान रिपोर्ट मे मुन्तकिल बिन्दु कायम कर नाप जोख किये जाने का उल्लेख है न ही अंतिम निष्कर्ष अंकित है न ही नजरी नक्शा बनाया है केवल भूमि कम होना अंकित किया जो सीमाज्ञान की श्रेणी मे नही आता। सीमाज्ञान रिपोर्ट दि. 12.5.19 के आधार पर पत्थरगढी नही की जा सकती। सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 12.5.19 को निरस्त करने का अनुरोध किया।

प्रार्थीगण की ओर से इसका जवाब पेश कर अंकित किया कि दिनांक 12.5.19 के सीमाज्ञान की जानकारी अप्रार्थीगण को सीमाज्ञान के दिन ही थी अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षर करने का कहने पर असभ्य व्यवहार करने लगे। जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र खारिज करने का अनुरोध किया।

बहस उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की सुनी गई । दौराने बहस विद्वान अधिवक्तागण द्वारा अपना अपना पक्षकथन दोहराया । बहस पर मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

प्रस्तुत मामले मे आपत्ति सीमाज्ञान रिपोर्ट आवेदन मे अप्रार्थी ने मुख्यतः सीमाज्ञान की सूचना व सुनवाई नहीं होना, सीमाज्ञान रिपोर्ट मे नजरी नक्शा नहीं बनाना व मुस्तकिल बिन्दू कायम नही होने का आक्षेप लिया है। जवाब व सीमाज्ञान रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकट होता है कि सीमाज्ञान रिपोर्ट मे मुस्तकिल निशानों से जरीब चलाकर सीमाज्ञान का अंकन है सीमाज्ञान मौजीज व्यक्तियों के समक्ष कराने का भी अंकन है। इसलिए अप्रार्थी के इन आक्षेपों को मान्य नही किया जा सकता। सीमाज्ञान रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकट होता है कि फर्द के साथ नजरी नक्शा संलग्न नही है। स्पष्ट व

चूंकि प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है तथा विवाद के निपटारे के लिए सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार पत्थरगढी भी करवाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110,111,128 भू राजस्व अधि. स्वीकार कर तहसीलदार सीकर को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण से नियमानुसार शुल्क जमा कर आराजी खसरा नं. 368 रकबा 1.40 है. व खसरा नं. 369 रकबा 1.11 है. किता 2 रकबा 2.51 है. वाके माधोपुरा तहसील सीकर का उभय पक्षों (खातेदारान) को पूर्व सूचना देकर उनकी उपस्थिति मे मुस्तकिल पोईन्ट कायम कर नियमानुसार फर्द मौका व नजरी नक्शा तैयार करवाकर पुनः सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाये। पालनार्थ तहसीलदार सीकर को लिखा जावे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 4 –3–2020 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(गरिमा लाटा)
उपखण्ड अधिकारी,सीकर

उपखण्ड अधिकारी सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर (राज.)